निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 25/2023
दायरा दिनांकः–31.08.2023
निर्णय दिनांकः–01.07.2024

उनवान

राज बाई आयु 65 वर्ष पुत्री रामचन्द्र पत्नि देवकरण जाति लोधा निवासी ग्राम सेमला हाल मुकाम खानाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः–01.07.2024
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश लोधा– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल सेमला तहसील छबडा में खाता संख्या 23 के खसरा नम्बर 145 रकबा 2.0487 है0 खसरा नम्बर 146 रकबा 0.8726 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.9213 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/8 दर्ज जमाबन्दी है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम राजबाई पुत्री रामचन्द्र है परन्तु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थीया का नाम राजबाई पुत्री रामचन्द्र के स्थान रज्जो पुत्री रामचन्द्र दर्ज हो जो उक्त आराजी में सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पडता है तथा इस करण प्रार्थीया का नाम दुरूस्तीकारण होकर रज्जो के स्थान पर राजबाई का नाम उक्त खाते की जमाबन्दी में दर्ज होना आवश्यक है तथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी एवं अन्य दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम राजबाई ही दर्ज है। प्रार्थीया ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से कही बार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दुरूस्त कर रज्जो के स्थान पर राज बाई अंकित करवाना चाहती है व निवेदन किया तो सभी ने मना कर दिया व श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर संशोधन करने के आदेश लाने को कहां इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थ[illegible]र्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रा[illegible]में नकल जमाबन्दी ग्राम सेमला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 23 [illegible] जमाबन्दी ग्राम सेमला सम्वत् 2061–64 खाता संख्या 74 [illegible] सेमला सम्वत् 2[illegible]8 खाता संख्या 23 फोटो प्रति जन आधार कार्ड आधार कार्ड,बैंक पास बुक रा[illegible] पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सेमला तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/8 दर्ज है प्रार्थी का वास्तविक नाम राजबाई पुत्री रामचन्द्र है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजबाई के स्थान पर रज्जो दर्ज गया है प्रार्थीया के पिता का स्वर्गवास होने पर फोती नामान्तरण दर्ज करतें समय राजबाई के स्थान पर रज्जो दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में रज्जों के स्थान पर राजबाई दर्ज करवाना चाहजी है प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजों में राजबाई अंकित है प्रार्थीया सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होना पडता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम रज्जो के स्थान पर राजबाई दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सेमला तहसील छबडा सम्वत् 2073–74 खाता संख्या 23 में रज्जो पुत्री रामचन्द्र दर्ज है नकल जमाबन्दी सेलमा सम्वत् 2061–64 खाता संख्या 74 में रामचन्द्रपुत्र नन्दराम, गजानन्द पुत्र बंशीलाल दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 10 से 11 में नमान्तरण नम्बर 250 दिनांक 17.12.2004 से खातेदार रामचन्द्र फोत वारिस पुत्र छगनसिंह जगन्नाथ, बाबूलाल पुत्री रज्जो का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम फोती नामान्तरण खोलते समय गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी के नाम के संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार ने रिपोर्ट में बताया कि जमाबन्दी खाता संख्या 23 में प्रार्थीया का नाम रज्जो पुत्री रामचन्द्र दर्ज है जो कि विरासत के नामान्तरण नम्बर 250 दिनांक 17.12.2004 से दर्ज हुआ है आधार कार्ड, राशन कार्ड, एवं बैंक डायरी में प्रार्थीया राजबाई का नाम राजबाई दर्ज है प्रार्थीया को रजजो व राजबाई दोनो नामों से जाना जाता है प्रार्थी का नाम विरासत का नामान्तरण खोलतें समय रज्जों अंकित कर दिया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम रज्जों उर्फ राजबाई दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम सेमला तहसील छबडा के खसरा नम्बर 145 रकबा 2.0487 है0 खसरा नम्बर 146 रकबा 0.8726 है0 भूमि में रज्जो के स्थान पर रज्जो उर्फ राजबाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:17 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा